

कार्यालय नगर पंचायत चितबड़ागाँव-बलिया

पत्रांक - 134/न०प०चि०/2016-17

दिनांक - 13/01/2016

प्रेस विज्ञप्ति

प्लास्टिक की थैलियों की आपूर्ति एवं क्रय पर प्रतिबन्ध


प्लास्टिक की थैलियों की आपूर्ति एवं विक्रय आदि प्रतिबन्धित किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना जनहित याचिका संख्या -67235/2014 अशोक कुमार व अन्य बनाम नगर निगम लखनऊ अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.11.2015 के अनुपालन में इससे सम्बन्धित अधिसूचना संख्या -3306/पर्या-15-27(पर्या /15)दिनांक 22.12.2015 द्वारा जनहित में प्लास्टिक की थैलियों का विनिर्माण, आयात, भण्डारण, विक्रय और दुलाई को 21.01.2016 से प्रतिबन्धित कर दिया गया है।

अतः किसी दुकानदार, वेंडर व ट्रेडर्स द्वारा प्लास्टिक की थैलियों जैसा कि उक्त अधिसूचना में परिभाषित है कि आपूर्ति एवं विक्रय नहीं किया जायेगा। अगर किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा नगर पंचायत चितबड़ागाँव के परिक्षेत्र में प्लास्टिक थैलियों का विनिर्माण, आयात भण्डारण, विक्रय और दुलाई आदि का कार्य किया जाता है तो उसके खिलाफ विधिक रूप से दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। सूचना नगर पंचायत चितबड़ागाँव की वेबसाइट npchitbaragaon.in पर देखी जा सकती है।

अधिशायी अधिकारी
नगर पंचायत चितबड़ागाँव-बलिया
नगर पंचायत चितबड़ागाँव

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय /प्रभारी अधिकारी महोदय, स्थानीय निकाय बलिया एवं उपजिलाधिकारी महोदय बलिया।
2. प्रभारी अधिकारी, महोदय एन. आई.सी. बलिया को इस आशय से प्रेषित कि अपनी वेबसाइट पर विज्ञापित करने का कष्ट करे।
3. सूचना पट्ट पर चस्पा एवं सम्बन्धित पत्रावली हेतु।
4. विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान वाराणसी को अगामी अंक में प्रकाशित कर समाचार पत्र की 5 प्रति के साथ बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करना चाहे।


अधिशायी अधिकारी
नगर पंचायत चितबड़ागाँव, बलिया
नगर पंचायत चितबड़ागाँव